

# “प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर.....

(शिविर स्थान.....डा. मरपुर.....)

आदेश

दिनांक...24-6-23...

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी...डा. मरपुर.....

...व भू.अ.नि.....जमोरी.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार.....अजोद.....

नायब तहसीलदार.....की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....चावकड़ी.....तहसील.....अजोद.....व

जिला.....कोटा.....की जमाबन्दी सम्वत्...2076-77...में खाता संख्या.....44.....

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>चावकड़ी</u>	<u>44</u>	<u>किशनलाल</u>	<u>किशनगोपाल</u> अंक <u>किशनलाल</u> ५

अजोद  
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर  
.....अजोद.....

क्रमांक :- 193

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार.....अजोद.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....किशनगोपाल.....

दिनांक :- 24-6-23